तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/5187/2006/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम लल्लूराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :

श्रीमती नीतू शेखावत, उप राजकीय अधिवक्ता।

अधिवक्ता अप्रार्थी व अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—

आदेश

दिनांकः— 11.12.2025

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रथम), जयपुर ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 18.05.2006 द्वारा मंडल को प्रेषित किया है।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार, जमवारामगढ़ ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रथम) जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खतौनी बंदोबस्त् भू–प्रबंध विभाग संवत् 2008 से 2017 ग्राम माथासूला तहसील जमवारामगढ़ के मुताबिक आराजी खसरा संख्या 2000, 2001, 2047, 2048 किता 4 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्री रामचन्द्रजी वाकै देह अहतमात पुजारी बद्री, किशना पि. रामदेव, मोती, नारायण, पि. सीता, महादेव वल्द रामला जाति ब्रा0 की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में खुदकाश्त दर्ज था। बाद में खतौनी एकीकरण जमाबंदी संवत् 2020 में उक्त आराजी खसरा संख्या 2000, 2001, 2047, 2048 के नए नंबर खसरा संख्या 610 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा दर्ज होकर बद्री, किशना पि. रामदेव हि. 1/2 मोती, नारायण पि. सीताराम हि. 1/2 ब्रा0 सा.देह खातेदारी में दर्ज हो गई है तथा माफी मंदिर श्री रामचन्द्रजी का नाम बिना किसी आधार व आदेश के विलोपित कर दिया गया । बाद में जरिए नामांतकरण संख्या 90, 139, 219, 701, 724 से भूमि हस्तांतरित होकर जमाबंदी संवत् 2058–61 में भूमि खसरा संख्या 610 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा लल्लूराम पुत्र रामेश्वर मु. कस्तुरी बेवा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स /एल.आर/5187/2006/जयपुर</u>** **राजस्थान सरकार बनाम लल्लूराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रामेश्वर, राममनोहर, जगदीश, कैलाश, रामसहाय, हनुमान पि. छीतर व कमला बेवा छीतर, बिदामी बेवा भौरीलाल, कल्याणसहाय, प्रभूदयाल, सहदेव, बाबूलाल, मूलचन्द पि. मोती, संज्या बेवा मोती जाति ब्रा0 की खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार वर्तमान में भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो अवैध होने से खारिज योग्य है। मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने से मूर्ति के नाम दर्ज भूमि को अन्य व्यक्ति के नाम हस्तांतरण नहीं की जा सकती है। उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार, मूर्ति अल्प व्यस्क में निहित है। अतः अप्रार्थीगण के नाम हुई उक्त खातेदारी को निरस्त कर उक्त आराजी पुनः मंदिर श्री रामचन्द्रजी के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करें। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 18.05.2006 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हस्तगत रेफरेंस प्रकरण माननीय मण्डल को प्रेषित किया है । विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस रेफरेंस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई । विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि विवादित भूमि माफी मंदिर श्री रामचन्द्रजी की खातेदारी में दर्ज थी। बाद में बिना किसी आधार व आदेश के माफी मंदिर श्री रामचन्द्रजी के नाम से विवादित भूमि की खातेदारी हटा कर अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज हुई है, जो अवैध एवं अनुचित है। मंदिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और उसकी भूमि पर पुजारी या किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्त करने से कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तथा यदि इस प्रकार के अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त हो भी गए है तो वह राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के विपरीत है तथा प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त विवादित भूमि की खातेदारी पुनः माफी मंदिर श्री रामचन्द्रजी के नाम दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करावें। हमनें विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी बंदोबस्त्	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स /एल.आर/5187/2006/जयपुर</u>** **राजस्थान सरकार बनाम लल्लूराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संवत् 2008 से 2017 के अनुसार ग्राम माथासूला तहसील जमवारामगढ़ के खसरा नंबर 2000, 2001, 2047, 2048 कुल किता 4 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्री रामचन्द्रजी वाकै देह अहतगाम पुजारी बद्री किशना पि. रामदेव, मोती, नारायण पि. सीता, महादेव वल्द रामला जाति ब्रा0 की खातेदारी में है। बाद में खतौनी एकीकरण जमाबंदी संवत् 2020 में उक्त आराजी खसरा संख्या 2000, 2001, 2047, 2048 के नए नंबर खसरा संख्या 610 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा दर्ज होकर बद्री, किशना पि. रामदेव हि. 1/2 मोती, नारायण पि. सीताराम हि. 1/2 ब्रा0 सा.देह खातेदारी में दर्ज हो गई है तथा माफी मंदिर श्री रामचन्द्रजी का नाम बिना किसी आधार व आदेश के विलोपित कर दिया गया । बाद में जरिए नामांतकरण संख्या 90, 139, 219, 701, 724 से भूमि हस्तांतरित होकर जमाबंदी संवत् 2058–61 में भूमि खसरा संख्या 610 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा लल्लूराम पुत्र रामेश्वर मु. कस्तुरी बेवा रामेश्वर, राममनोहर, जगदीश, कैलाश, रामसहाय, हनुमान पि. छीतर व कमला बेवा छीतर, बिदामी बेवा भौरीलाल, कल्याणसहाय, प्रभूदयाल, सहदेव, बाबूलाल, मूलचन्द पि. मोती, संज्या बेवा मोती जाति ब्रा0 की खातेदारी में दर्ज कर दी गई, जो विधिसम्मत् नहीं है। चूंकि विवादित आराजी खतौनी बंदोबस्त् संवत् 2008 से 2017 के अनुसार ग्राम माथासूला तहसील जमवारामगढ़ के खसरा नंबर 2000, 2001, 2047, 2048 कुल किता 4 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्री रामचन्द्रजी वाकै देह अहतगाम पुजारी बद्री किशना पि. रामदेव, मोती, नारायण पि. सीता, महादेव वल्द रामला जाति ब्रा0 की खातेदारी में थी। चूंकि मंदिर शाश्वत नाबालिग है तथा नाबालिग की भूमि अन्य को किसी भी रूप में स्थानातांरित नहीं की जा सकती है। अभिलेख से विवादग्रस्त आराजी माफी मंदिर श्री रामचन्द्रजी की खातेदारी की होना स्पष्ट होता है, ऐसी आराजी को निजी व्यक्तियों की खातेदारी में अभिलिखित नहीं किया जा सकता है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग (Perpetual Minor) होती है तथा शाश्वत नाबालिग के हितों की रक्षा करना न्यायालय का दायित्व है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है । नाबालिग स्वंय काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गये है तो वह प्रभाव	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स /एल.आर/5187/2006/जयपुर</u>** **राजस्थान सरकार बनाम लल्लूराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	शून्य माने जावेगें । अतः हस्तगत रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि बाबत् अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी निरस्त किये जाने योग्य तथा विवादित भूमि पुनः माफी मंदिर श्री रामचन्द्रजी की खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित एवं विधिसम्मत् प्रतीत होता है । फलस्वरूप यह रेफरेंस स्वीकार किया जाकर ग्राम माथासूला तहसील जमवारामगढ़ में स्थित वर्तमान आराजी खसरा संख्या 610 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा पर अप्रार्थीगण को दी गई खातेदारी/अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी को निरस्त किया जाता है तथा उक्त भूमि को पुनः माफी मंदिर श्री रामचन्द्रजी की खातेदारी में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नंबर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	